न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.
Camp - chak 5 L L Burjwali

वादपत्र संख्या 30/2018
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

सुखमनसिंह आयु 28 वर्ष आत्मज श्री गुरबख्शसिंह, जटसिख, चक 2 च छोटी तहसील व जिला श्रीगगानगर

...वादी

बनाम

1. गुरबख्शसिंह
2. बलदेवसिंह एवं
3. हरमनसिंह आत्मजन श्री भजनसिंह, जटसिख, चक 2 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री संजय जनवेजा	(वादी)
	श्री रोबिन गुम्बर	(प्रतिवादी–1से3)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–4)

दिनांक 23 मई, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 2 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 29/28 मुरब्बा नम्बर 10, 11,12 एवं 20 की 12.648 हैक्टर में से 1.897 हैक्टर कृषि भूमि वादी के नाम, 2.150 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर, 2.150 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर एवं 3.288 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर एवं खाता संख्या 15/17 मुरब्बा नम्बर 1 की 2.940 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर, चक 2 एच छोटी–II के खाता संख्या 43/38 मुरब्बा नम्बर 6, 10 एवं 12 की 14.886 हैक्टर में से 0.771 हैक्टर वादी के नाम एवं 1.690 हैकटर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जो कि समस्त कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिस पर पक्षकारान का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा काफी समय पूर्व आपसी सहमति से मौखिक रूप से घरू बंटवारा किया गया जिसके अनुसार वादी को चक 2 एच छोटी–I के मुरब्बा नम्बर 1 किला नम्बर 11, 12, 19, 20, 21 एवं 22 प्रत्येक सालम, कुल 1.518 हैक्टर कृषि भूमि एवं चक 2 एच छोटी–II के खाता संख्या 43/38 मुरब्बा नम्बर 6, 10 एवं 12 की 14.886 हैक्टर में से 1.720 हैक्टर कुल 3.238 हैक्टर दी गयी तथा शेष कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के कब्जा में चली आ रही है. वादी द्वारा अपने हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि पर काफी धन का व्यय करते हुऐ भारी मेहनत करे सुधार कार्य करवाये

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

गये हैं तथा भूमि को समतल करवाकर उपजाउ बनाया गया है. वादी अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर विभिन्न राजकीय योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है किन्तु राजस्व अभिलेखों में संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण न तो राजकीय योजनाओं का लाभ उठा पा रहा है इसके अतिरिक्त, मामला, लगान अदायगी, पानी की बारी के समय को लेकर परस्पर विवाद बना रहता है इसलिये वादी पारिवारिक मौखिक विभाजन के अनुसार अपने हिस्सा की कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में किलावाईज अपने नाम पर दर्ज करवा कर पृथक खाता कायम करवाना चाहता है. वादी द्वारा प्रतिवादीगण को पारिवारिक बंटवारा के अनुसार सहमति से विधिवत बंटवारा करवाने के लिये कई बार आग्रह किया गया जिस पर प्रतिवादीगण टालमटोल करते हुऐ दिनांक 01 मार्च, 2018 को सहमति से खाता विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया. यही वाद हेतुक वादी को उपलब्ध है. इस प्रकार वादी द्वारा पारिवारिक मौखिक विभाजन में प्राप्त चक 2 एच छोटी–I के मुरब्बा नम्बर 1 किला नम्बर 11, 12, 19, 20, 21 एवं 22 प्रत्येक सालम कुल 1.518 हैक्टर, चक 2 एच छोटी–II के खाता संख्या 43/38 मुरब्बा नम्बर 6, 10 एवं 12 की 14.886 हैक्टर में से 1.720 हैक्टर कुल 3.238 हैक्टर कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं पृथक खाता कायम करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 2 एच छोटी–II की जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, चक 2 एच छोटी–I की जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 की प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 4 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 के मुख्तयार आम द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 21 मार्च, 2018 प्रस्तुत किया गया. वादी की पहचान अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 के मुख्तयार आम की पहचान अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर द्वारा की गयी. अतिरिक्त वादी के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 4580 7104 2092, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 3700 2247 5988, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 5275 4859 4906 एवं प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर जारी कनेडियन पारपत्र संख्या WG 905578 एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा निष्पादित General Power of Atorney Dt. 26th September, 2013 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी. अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 3 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 9 मई, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी अपने हिस्सा से अधिक कृषि भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है. वाद 2.668 हैक्टर कृषि भूमि विभाजन में प्राप्त कर सकता है.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब राज्यपक्ष के परिदृश्य विवाद्यकों का निर्धारण अपेक्षित नहीं रहा. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 3 के मुख्तयारआम के माध्यम से राजीनामा के समर्थन में प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत क्रमशः

2015(1) RRT 278 Nihalsingh vs. Pyarelal & Anr.
1998 RBJ(5) 616 State of Raj. vs. Kansingh

का ससम्मान अवलोकन किया गया.

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिकी किया जाता सकता है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है. राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 19 क अनुसार यदि जोत के विभाजन के वाद के लम्बित रहने के दौरान उस वाद के सह अभिधारी किसी करार पर आते हैं तो उस वाद को उस करार की शर्तो के अनुसार डिक्रीत किया जावेगा. इसके साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार किसी भी विचाराधीन वादपत्र में ऐसे सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो सह कृषकों को ऐसी सहमति के आधार पर ही डिकी की जावेगी. सहमति के आधार पर जोत के विभाजन के मामलों में राजस्व अधिकारी इस तरह की आपत्ति नहीं लगायें कि सह कृषकों ने बंटवारा में अपना हिस्सा कम–अधिक क्यों कर लिया.

ऐसी स्थिति में, पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार पक्षकारान राजीनामा में प्राप्त कृषि भूमि की विभाजित करवाने के अधिकारी हैं.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 21 मार्च, 2018 के अनुसार ही **वादी श्री सुखमनसिंह आत्मज श्री गुरबख्यासिंह को–** चक 2 एच छोटी–I के मुरब्बा नम्बर 11, 12, 19 से 22 प्रत्येक सालम कुल 1.518 हैक्टर, खाता संख्या 43/38 मुरब्बा नम्बर 6, 10 एवं 12 की 14.886 हैक्टर में से 1.720 हैक्टर कुल 3.238 हैक्टर **प्रतिवादी संख्या 1 श्री गुरबख्शसिंह आत्मज श्री भजनसिंह को –** चक 2 एच छोटी–I के खाता संख्या 3/6 मुरब्बा नम्बर 1 की 2.940 हैक्टर एवं खाता संख्या 15/17 मुरब्बा नम्बर 1 किला नम्बर 1(0.164) हैकटर, किला नम्बर 2(0.164) हैकटर, किला नम्बर 3/1(0.082) हैकटर, किला नम्बर 8/1(0.126) हैक्टर, किला नम्बर 9 एवं 10(0.506) हैक्टर, किला

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

नम्बर 13/1(0.127) किला नम्बर 18/1(0.126) हैक्टर, किला नम्बर 23/1(0.127) हैक्टर कुल 1.422 हैक्टर कुल 4.362 हैक्टर, **प्रतिवादी संख्या 2 श्री बलदेवसिंह आत्मज श्री भजनसिंह को** – चक 2 एच छोटी–I के खाता संख्या 29/28 मुरब्बा नम्बर 10, 11, 12 एवं 20 की 12.648 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम पर दर्ज 9.485 हैक्टर मं से 4.297 हैक्टर कृषि भूमि एवं **प्रतिवादी संख्या 3 श्री हरमनसिंह आत्मज श्री बलदेवसिंह को** – चक 2 एच छोटी–I के खाता संख्या 29/28 मुरब्बा नम्बर 10, 11, 12 एवं 20 की 12.648 हैक्टर में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम पर दर्ज कुल 9.485 हैक्टर में से 5.187 हैक्टर एवं चक 2 एच छोटी–II के खाता संख्या 43/38 मुरब्बा नम्बर 6, 10 एवं 12 की 14.886 हैक्टर में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर दर्ज 2.461 हैक्टर में से 0.741 हैक्टर कुल 5.928 हैक्टर कृषि भूमि विभाजित की जाती है. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश खुले लोक अदालत न्यायालय कैम्प– चक 5 एल.एल. बुर्जवाली में आज दिनांक 23 मई, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.

सुखमनसिंह आयु 28 वर्ष आत्मज श्री गुरबख्शसिंह, जटसिख, चक 2 च छोटी तहसील व जिला श्रीगगानगर

...वादी

बनाम

1. गुरबख्शसिंह
2. बलदेवसिंह एवं
3. हरमनसिंह आत्मजन श्री भजनसिंह, जटसिख, चक 2 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 30/2018
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, श्री रोबिन गुम्बर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी–4) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादी श्री सुखमनसिंह आत्मज श्री गुरबख्यासिंह को– चक 2 एच छोटी–I के मुरब्बा नम्बर 11, 12, 19 से 22 प्रत्येक सालम कुल 1.518 हैक्टर, खाता संख्या 43/38 मुरब्बा नम्बर 6, 10 एवं 12 की 14.886 हैक्टर में से 1.720 हैक्टर कुल 3.238 हैक्टर **प्रतिवादी संख्या 1 श्री गुरबख्शसिंह आत्मज श्री भजनसिंह को –** चक 2 एच छोटी–I के खाता संख्या 3/6 मुरब्बा नम्बर 1 की 2.940 हैक्टर एवं खाता संख्या 15/17 मुरब्बा नम्बर 1 किला नम्बर 1(0.164) हैकटर, किला नम्बर 2(0. 164) हैकटर, किला नम्बर 3/1(0.082) हैकटर, किला नम्बर 8/1(0.126) हैक्टर, किला नम्बर 9 एवं 10(0.506) हैक्टर, किला नम्बर 13/1(0.127) किला नम्बर 18/1(0.126) हैक्टर, किला नम्बर 23/1(0.127) हैक्टर कुल 1.422 हैक्टर कुल 4.362 हैक्टर, **प्रतिवादी संख्या 2 श्री बलदेवसिंह आत्मज श्री भजनसिंह को –** चक 2 एच छोटी–I के खाता संख्या 29/28 मुरब्बा नम्बर 10, 11, 12 एवं 20 की 12.648 हैक्टर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम पर दर्ज 9.485 हैक्टर मं से 4.297 हैक्टर कृषि भूमि एवं **प्रतिवादी संख्या 3 श्री हरमनसिंह आत्मज श्री बलदेवसिंह को –** चक 2 एच छोटी–I के खाता संख्या 29/28 मुरब्बा नम्बर 10, 11, 12 एवं 20 की 12.648 हैक्टर में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम पर दर्ज कुल 9.485 हैक्टर में से 5.187 हैक्टर एवं चक 2 एच छोटी–II के खाता संख्या 43/38 मुरब्बा नम्बर 6, 10 एवं 12 की 14.886 हैक्टर में से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर दर्ज 2.461 हैक्टर में से 0.741 हैक्टर कुल 5.928 हैक्टर कृषि भूमि विभाजित की जाती है.

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य... ....दर वार्षिक ...शून्य........आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 23 मई, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर